न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील / 117 / 2022

अपीलांट प्रेमसिंह पुत्र सुगत सिंह
निवासी थुम्बली, अकली, तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिव

आदेश

दिनांक 21.10.2022

अपीलार्थी प्रेमसिंह पुत्र सुगत सिंह निवासी थुम्बली, अकली, तहसील शिव जिला बाड़मेर से यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी शिव के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 13.10.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर / पंजीबद्ध डाक / ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर [illegible] सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। [illegible] संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र की प्रति दिनांक 03.09.2022 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिव को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित समयावधि में टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूंचना काफी पुरानी एवं सटीक समयावधि की नही होने से अपीलार्थी को व्यक्तिशः कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन करने हेतु आमंत्रित किया गया है, बावजूद सूचना अपीलार्थी आदिनांक अनुपस्थित रहने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है।

हमने प्रस्तुत अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जारी पत्राचार का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह [illegible] अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा [illegible] पत्र में वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:32:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)